कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 665 दिनांक 02.05.2019 के आलोक में वर्ष 2015–16 में शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात शेष बचे रिक्त पदो के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 03.06.2019 आयोजित की जाने वाली काउंसेलिंग के क्रम में निदेशानुसार दिनांक 15.05.2019 को औपबंधिक मेधा सूची गिरिडीह जिले के वेबसाईट www.giridih.nic.in पर अपलोड़ करते हुए संबंधितों से दिनांक 22.05.2019 तक आपत्ति की माँग की गयी थी। दिनांक 22.05.2019 तक प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करते हुए दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार संशोधित औपबंधिक मेधा सूची को गिरिडीह जिले के वेबसाईट www.giridih.nic.in पर दिनांक 30.05.2019 को अपलोड़ कर दिया गया है। संबंधितों को सूचित किया जाता है कि काउंसेलिंग दिनांक 03.06.2019 को 08:00 बजे पूर्वाहन से सर जे0सी0 बोस बालिका उच्च विद्यालय, गिरिडीह में की जायेगी।

काउंसेलिंग हेतु अन्य शर्ते :–

1. काउंसेलिंग में भाग लेने के पूर्व अभ्यर्थित्व के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त ही निर्धारित काउंसेलिंग की तिथि को पूर्व में समर्पित किये गये सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक /झारखण्ड शिक्षक पत्रता परीक्षा उर्त्तीणता प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों (किसी प्रकार के जाति/आवासीय/आरक्षण के लाभार्थ) इत्यादि की मूल प्रतियों के साथ भाग लेंगे। इसकी स्वः हस्ताक्षरित एक प्रति भी लेकर आयेंगे। काउंसेलिंग में मूल प्रमाण पत्र जमा कर ली जायेगी।
2. काउंसेलिंग के समय संलग्न विहित प्रपत्र में शपथ पत्र नोटराईज करा कर प्रस्तुत करना होगा।
3. काउंसेलिंग में भाग लेने हेतु इसके साथ संलग्न शपथ पत्र एवं सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र के साथ आना होगा। मात्र पूर्ण डाक्यूमेंट वाले अभ्यर्थी पर काउंसेलिंग में विचार होगा।
4. काउंसेलिंग के आवेदन में उक्त के अतिरिक्त अगर कोई माननीय उच्च न्यायालय का न्यायांदेश होगा, उसकी प्रति भी आवश्यक रुप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. इस काउंसेलिंग में भाग नहीं लेने वाले अभ्यर्थी के किसी दावे पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त न होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। यह निर्णय जिला स्थापना समिति द्वारा लिया जा सकेगा।
7. काउंसेलिंग में भाग लेने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
8. काउंसेलिंग हेतु मूल प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक ही प्राप्त होगा।
9. D.P.E. योग्यताधारी अभ्यर्थी अपने पारा शिक्षक के रुप में चयन का प्रमाण यथा एकरारनामा, चयन पंजी या अनुमोदन पंजी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति साथ लायेंगे।

ह0/–
जिला शिक्षा अधीक्षक,
गिरिडीह

Scanned by CamScanner